

सुप्रीम कोर्ट में सौंपे 15 हजार पेजों का दस्तावेज

► ओबीसी आरक्षण के मामले में अब 8 को होगी सुनवाई

► प्रतिवादी पक्ष ने दस्तावेजों के अध्ययन के लिये मांगा समय

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 24 सितंबर. मप्र में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की. अब इस तारीख से सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान मप्र सरकार की ओर से 15 हजार पेजों का दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया, जिसमें 27 फीसदी आरक्षण के लिये विस्तार से सरकार का पक्ष रखा गया है.

बुधवार को सुनवाई के दौरान भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी तथा राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने बहस शुरू करते हुए अंतरिम

आदेश के तहत लागू स्थगन हटाने का निवेदन प्रस्तुत किया. वहीं दूसरी ओर, आरक्षण विरोधी पक्ष को ओर से अधिवक्ता लेखी एवं अधिवक्ता पूजा धर ने हस्तक्षेप करते हुए यह तर्क रखा कि अनेक नए दस्तावेज दाखिल किए गए हैं, जिनके अध्ययन हेतु उन्हें अतिरिक्त समय प्रदान किया जाए. दरअसल बुधवार को राज्य सरकार की ओर से 15 हजार पेजों का दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया है, जिसमें प्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने की पेशी की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही तय किया है कि सभी श्रेणी को मिलाकर किसी भी स्तर पर आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए. यदि ऐसा किया गया तो फिर उसे रेयर ऑफ रेयर मामला साबित करना होगा और तर्क देना होगा कि ऐसा किया जाना अत्यंत अनिवार्य है. लिहाजा इसी आधार पर राज्य सरकार ने दस्तावेज तैयार किये हैं. जिसे आज सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया. इस पर प्रतिवादी पक्ष ने दस्तावेजों



के अध्ययन के लिये समय दिये जाने का अनुरोध किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी तो दलील सुनने की तैयारी पूरी है, लेकिन आप लोगों की तैयारी नहीं है. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने छत्तीसगढ़ मामले को अलग करने का निवेदन न्यायालय के समक्ष रखा. ओबीसी समाज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने आग्रह किया कि मध्यप्रदेश मामले में अंतरिम आदेश पारित किया जाए. ओबीसी समाज को सबसे अधिक प्रारंभिकता देनी चाहिए. कोर्ट द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी ने वकीलों की उपस्थिति क्रम और दस्तावेजों के संकलन हेतु समय मांगा. इस पर कोर्ट ने मामले को 8 अक्टूबर

मामले को आगामी 8 अक्टूबर 2025 को बोर्ड के शीप पर सूचीबद्ध करने का आदेश दिया. इधर ओबीसी महासभा ने कहा है कि आज की सुनवाई समाज के संवैधानिक अधिकारों एवं 27 फीसदी आरक्षण बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम है. संगठन ने पुनः स्पष्ट किया है कि समाज के हक और अधिकारों की रक्षा हेतु महासभा हर स्तर पर संघर्षरत रहेगी.

प्रदेश शासन की मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि अटॉर्नी जनरल श्री आर. वेंकटरमणी ने मप्र सरकार का पक्ष रखते हुए न्यायालय से मध्यप्रदेश में पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किए जाने का आग्रह करते हुए 13 प्रतिशत होल्ड परों को अनहोल्ड करने का तर्क रखा. अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि मामले की सुनवाई अब प्रारंभ की जानी चाहिए. कोर्ट द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी ने वकीलों की उपस्थिति क्रम और दस्तावेजों के संकलन हेतु समय मांगा. इस पर कोर्ट ने मामले को 8 अक्टूबर

आरक्षण को लेकर राजनीति भी शुरू

एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण का मामला लंबित है और सुनवाई का क्रम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीति भी लगातार जारी है. मंत्री कृष्णा गौर ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई पर कांग्रेस नेताओं द्वारा फैलाए जा रहे झूठ पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अब न्यायालय के मामले में भी झूठ की फैवरी चलाने में लगे हैं. ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी मामले में कांग्रेस जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है. जबकि वास्तविकता यह है कि मप्र सरकार के वकीलों ने सर्वोच्च न्यायालय में पूरी गंभीरता और तथ्यों के साथ पक्ष रखते हुए 15 हजार पेजों का दस्तावेज भी सौंपा है.

मंत्री गौर ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मप्र की भाजपा की सरकार ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है. मध्यप्रदेश सरकार की ओर से अधिवक्ताओं ने तथ्यों और तर्कों के साथ स्पष्ट दलीलें दीं, जिसके आधार पर न्यायालय ने इसे प्रथम सुनवाई में लेने का निर्णय किया है. कांग्रेस लगातार असत्य का सहारा लेकर जनता को भ्रमित करना चाहती है, जबकि सच्चाई यही है कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी मजबूती और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है. भाजपा सरकार को आशा ही नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि माननीय न्यायालय कांग्रेस के झूठ को नकारते हुए ओबीसी समाज के हित में न्याय करेगा.

2025 को लिए नियत किया है. यह मामला 8 अक्टूबर को सबसे पहले सुना जाएगा. वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने

मध्यप्रदेश शासन के तर्क का समर्थन करते हुए आग्रह किया कि मध्यप्रदेश मामले में अंतरिम आदेश पारित किया जाए.

सीएम के आगमन की तैयारियों का लिया जायजा

भोपाल, 24 सितंबर. पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर जैसीनगर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बुधवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया.

मंत्री राजपूत ने मंच व्यवस्था, हेलीपैड, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की. उन्होंने अधिकारियों, भाजपा कार्यकर्ताओं और कार्यक्रम प्रभारियों के साथ चर्चा कर व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कमी न रहने के सख्त निर्देश दिए. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव



इस अवसर पर जैसीनगर में अन्य सेवा जागरूकता योजना का शुभारंभ करेंगे और सिंगल क्लिक के माध्यम से विभिन्न जनहितैषी योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे. मंत्री राजपूत ने सुरखी विधानसभा सहित जिले के सभी कार्यक्रमों और नागरिकों से

अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया. बुंदेली परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री का स्वागत किया जायेगा. कार्यक्रम में प्रसिद्ध बुंदेली गायक जितू खरे बादल अपनी टीम के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे.

पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रदेश भर में आयोजित होंगे कार्यक्रम

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 24 सितंबर. भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य एवं एकान्त मानववाद के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को प्रदेश के सभी बूथों पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि व प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई जाएगी.

भाजपाके प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद भ्रांजना प्रो. दीनदयाल उपाध्याय को प्रातः 10:30 बजे पं. दीनदयाल की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संगोष्ठी

को संबोधित करेंगे. गुरुवार को प्रदेश के सभी बूथों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की चित्र पर पुष्पांजलि व प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा. इसके साथ ही हर बूथ पर वृहद स्तर पर पौधरोपण कार्यक्रम होंगे. 25 सितंबर को प्रातः 8 बजे मप्र में एक साथ, एक दिन, एक समय स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल होंगे. जिलों में आयोजित संगोष्ठीयों में प्रदेश शासन के मंत्रीगण, प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक, जगप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता शामिल होंगे.

बिजली की चपेट में आने से दो बच्चों की मौत

जबलपुर, 24 सितंबर. तिलवार थाना के अंतर्गत बरगी हिल्स में बुधवार रात्रि नौ बजे दुर्गा पंडाल के बाहर करंट लगने से दो बच्चों की मौत हो गई. हादसा उस वकत हुआ जब पंडाल के बाहर सड़क पर गई बिजली सजावट वाले विद्युत की दो बच्चे चपेट आ गए थे. सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे. दोनों बच्चों की पार्थिव देह को मेडिकल कॉलेज भेजा गया है.

जानकारी के मुताबिक बुधवार की रात करीब 9 बजे के आसपास बरगी हिल्स में चीफ इंजीनियर ऑफिस के सामने दुर्गा

दुर्गा पंडाल के बाहर हादसा



पंडाल के बाहर सड़क पर की गई विद्युत सजावट वाले तार के सम्पर्क में आने से दो बच्चों आयुष झारिया पिता आशीष झारिया 6 वर्ष एवं वेद सेन पिता विपिन सेन 10 वर्ष की मौत हो गई है. हादसा कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ और इसके जिम्मेदार कौन है समेत अन्य बिन्दुओं पर जांच शुरू कर दी गई. कलेक्टर ने घटना के

कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश, गठित की टीम

मामले में कलेक्टर राधेन्द्र सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं. घटना की जांच के लिये एसडीएम गोरखपुर अनुराग सिंह के नेतृत्व में तीन सदस्यीय दल गठित किया है. दल में लोक निर्माण विभाग के एसडीओ इन्द्रमण एस के शर्मा एवं पूर्व क्षेत्र विद्युत कंपनी के सहायक यंत्री दिनेश पाल को सदस्य बनाया गया है.

कारणों तथा सभी संभावित बिंदुओं की जांच कर तीन दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जांच दल को दिये हैं.

स्वदेशी मेले में 60 से अधिक शिल्पियों के स्वास्थ्य की जांच

भोपाल, 24 सितंबर. स्वदेशी पखवाड़ा के तहत गौहर महल में चल रहे स्वदेशी मेले में बुधवार को स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया. यह शिविर मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरवा विकास निगम की पहल पर आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य मेले में भाग लेने आए शिल्पियों के स्वास्थ्य की जांच और आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराना था.



इस अवसर पर सिविल सेवा

अस्पताल, बैरगाड़ के चिकित्सकों

गौहर महल के स्वदेशी मेले में शिविर आयोजित

की टीम ने शिल्पियों का परीक्षण किया. शिविर में शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और नेत्र संबंधी जांच की गई. डॉक्टरों ने शिल्पियों को जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के प्रति सतर्क रहने और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने की सलाह भी दी. स्वदेशी मेले में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए कारीगर अपनी कला और हस्तनिर्मित उत्पाद प्रदर्शित कर रहे हैं. निगम

की ओर से कहा गया कि शिल्पियों की सुविधा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे शिविर लगातार आयोजित किए जा रहे हैं. शिविर में 60 से अधिक शिल्पियों ने जांच कराई और चिकित्सा परामर्श प्राप्त किया. इस अवसर पर हाथकरवा विकास निगम के सहायक संचालक उमेश श्रीवास्तव और संजय श्रीवास्तव मुख्य रूप से उपस्थित हुए.

व्यवसायी से ढाई लाख की लूट

सीधी, 24 सितंबर. जिले के पुलिस सहायता केन्द्र टिकरी अंतर्गत दरिया-मन्ने धून्ने जंगल में शनिवार सुबह एक बर्तन व्यवसायी से नकाबपोश बदमाशों ने ढाई लाख रुपये लूट लिए. दिवन्दहाड़े हुई इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई.

मिली जानकारी के अनुसार टिकरी निवासी सातेश्वर प्रसाद गुप्ता (47 वर्ष) सुबह करीब 8.55 बजे अपनी बाइक से जंगल से गुजर रहे थे. इसी दौरान दरिया

तिराहे पर दो नकाबपोशों ने डंडा अड़कर उनकी बाइक रोकी. एक बदमाश बाइक चलाने लगा, जबकि दूसरा उनके पीछे बैठ गया और मुंह दबाते हुए जंगल की ओर ले गया.


मड़वास थाना प्रभारी भूपेश वैस ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर तीन अज्ञात नकाबपोश बदमाशों के खिलाफ अपराध क्रमांक 0/25, धारा 309(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. बदमाशों की तलाश की जा रही है.

जंगल के भीतर तीनों ने व्यवसायी को उतारकर बाजू दिखाकर धमकाया और उनकी पेट व डिग्गी में रखी रकम लूट ली. पीड़ित के पास रखी 50-50 हजार की पांच गड्डियां व 2 हजार रुपये नकद, कुल 2 लाख 52 हजार रुपये बदमाश ले गए. बाद में बाइक में तेल डलवाने के लिए 200 रुपये फेंककर फरार हो गए. व्यवसायी ने घटना की सूचना पुलिस को दी.

साँची विवि में मोदी युग और अमृतकाल पर विशेष चर्चा

सलामतपुर, 24 सितंबर. साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमृतकाल पर प्रो. संजय द्विवेदी से विशेष परिचर्चा हुई. सेवा पर्व 2025 के अवसर पर प्रो. संजय द्विवेदी द्वारा लिखी गई किताबों-मोदी युग और अमृतकाल में भारत पर अधिग्रहण प्रो. नवीन कुमार मेहता ने सवाल-जवाब के माध्यम से परिचर्चा की.

पत्रकार, शिक्षाविद और प्रशासनिक कार्यों की दक्षता रखने वाले प्रो. संजय द्विवेदी ने सवालों के जवाब में बताया कि उन्होंने 2014 के पहले ही एक लेख में कह दिया था कि देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे. 35 किताबें और 3200 के करीब लेख



लिख चुके प्रो. संजय द्विवेदी भारतीय जनसंघ संस्थान, दिल्ली के महानिदेशक और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल के कुलसचिव रह चुके हैं. उन्होंने कहा कि देश में हुए अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोगों के अंदर उम्मीदों को

जगाने वाले नेता बन गए... जिन्होंने सोशल इंजीनियरिंग को देश में धरातल पर उतारा है. नरेंद्र मोदी ने भारत की छवि का निर्माण किया है और जो भारत के लोगों को स्थायी विकास की ओर लेकर गए हैं. प्रो. द्विवेदी से जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विषय में सवाल किया गया.

बैठक वार्षिक साधारण सभा की बैठक में सहकारिता मंत्री सारंग ने कहा-

आवास संघ को सशक्त निर्माण एजेंसी बनाएंगे

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 24 सितंबर. सहकारिता मंत्री विश्वास केलाश सारंग की अध्यक्षता में बुधवार को समन्वय भवन, भोपाल में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित एवं मप्र राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ मर्यादित की वार्षिक साधारण सभाएं आयोजित की गईं.

सभा की शुरुआत में आवास संघ का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना और नवीन प्रस्तावों पर चर्चा की गई, साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27



का प्रस्तावित बजट भी रखा गया. मंत्री सारंग ने कहा कि आवास संघ को प्रदेश में एक सशक्त निर्माण एजेंसी के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने निर्देश दिये कि संघ द्वारा कराए जाने वाले सभी निर्माण कार्य

एमपी चीता ब्रांड की पहचान

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ मर्यादित की 20वीं साधारण सभा की बैठक में सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, इसमें सहकारिता आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बीज उत्पादन और वितरण को लेकर गंभीर है. इसी दिशा में एमपी चीता नामक ब्रांड विकसित किया गया है, जो बीज संघ की पहचान बनेगा. इस ब्रांड के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले उन्नत बीज समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे.

सदस्यता प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी. इसके लिए सदस्यता शुल्क राशि को 1,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जा रहा है, जिससे संघ का कॉर्पस फंड सुदृढ़ होगा.

संचालनालय महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश
विजयापुर्णि वात्सल्य भवन 28 ए अररा हिल्स, भोपाल
फोन: 0755-2550909, 2550910 फेक्स 0755-2550912
ई-मेल commwed@mp.nic.in
वेबसाइट www.mpwed.nic.in, www.mpwedmis.gov.in
क्रमांक / मवावि/भण्डार/2025-26/157 भोपाल, दिनांक 23/09/2025

निविदा सूचना

संचालनालय महिला एवं बाल विकास कार्यालय, भोपाल में कम्प्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, यूपीएस एवं एंटीवायरस क्रय किये जाने हेतु निविदा क्रमांक GEM/2025/B/6672303 आमंत्रित की जाती है. निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्तें GeM Portal पर उपलब्ध है. जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है.

1	निविदा फार्म डाउनलोड करने की तिथि एवं समय.	22-09-2025 सांय 06.00 बजे से
2	निविदा फार्म ऑनलाईन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय.	13-10-2025 सांय 06.00 बजे तक

निविदा सूचना में कोई भी संशोधन समाचार पत्र में न दिया जाकर वेबसाइट पर ही जारी किये जायेंगे. आयुक्त, संचालनालय महिला एवं बाल विकास को किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने या निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार होगा.

संयुक्त संचालक (भण्डार)
महिला एवं बाल विकास, म.प्र.
जी- 19088/25

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी
उत्तर बैतूल (सा.) वनमण्डल
E-mail dfotbetul.mp.gov.

विज्ञापन

वन संरक्षक वन वृत्त बैतूल के आदेश क्रमांक/स्था./92 दिनांक 17.06.2025 द्वारा श्री दिलीप नागले वनरक्षक का स्थानांतरण उडनदस्ता दल वन वृत्त बैतूल से उत्तर बैतूल (सा.) वनमण्डल अंतर्गत बोट गार्ड प. बरेठा परिक्षेत्र बैतूल (सा.) किया गया है.

उडनदस्ता दल वन वृत्त बैतूल द्वारा श्री दिलीप नागले वनरक्षक का स्थानांतरण होने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 08.07.2025 को इस वनमण्डल हेतु भारमुक्त किया गया है. किन्तु वनरक्षक द्वारा भारमुक्त दिनांक से आज दिनांक तक लगभग 02 माह से अधिक अवधि के पश्चात भी अपनी उपस्थिति इस वनमण्डल कार्यालय को नहीं दी गई है.

श्री दिलीप नागले वनरक्षक को निर्देशित किया जाता है कि वह विज्ञापन जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के भीतर इस वनमण्डल कार्यालय में अपनी उपस्थिति नहीं देते हैं तो उनके विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने एवं अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिये वनरक्षक स्वयं ही जिम्मेदार होंगे.

वनमण्डलाधिकारी
उत्तर बैतूल (सा.) वनमण्डल
जी- 19134/25